प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जालौन, प्रतापगढ़, बरेली, सहारनपुर, मैनपुरी, श्रावस्ती, कासगंज, बाराबंकी, आजमगढ़, चन्दौली, मथुरा, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, कानपुर नगर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, खीरी, बस्ती, फतेहपुर, बिजनौर, मेरठ, देवरिया, कन्नौज, आगरा, अलीगढ़, एटा, बागपत, शाहजहांपुर एवं शामली, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0:– SPMU/NCD/NPCB&VI/Main File/2018–19/01A/ 6858-30 दिनांक 24/9/18

विषय : राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की 30 जनपदों की लम्बित देनदारियों हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी माह सितंबर 2018 तक शत–प्रतिशत व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत आर0ओ0पी0 2018–19 के क्रमशः एफ0एम0आर0 मद संख्या **15.6.1** पर रू0 **47125000.00**, मंद सं0–**2.3.3.2 पर रू0 1175000.00 , मंद सं0– 2.3.3.3** पर रू0 **71000.00 एवं मंद सं0–16.1 पर रू0 4000.00** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 की सम्बन्धित जनपदों की लम्बित देनदारियों हेतु उपरोक्तानुसार कुल रू0 **48375000.00** धनराशि अनुमोदित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्वीकृत आर0ओ0पी0 में राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लम्बित देनदारियों के सापेक्ष महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, के प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कुल रू0 **48375000.00** की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मंदवार कुल रू0 **48373440.00** की लम्बित धनराशि निम्नवत् प्रस्तर व तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को लम्बित देनदारियों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है–

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लम्बित धनराशि

क्र0 सं0	जनपद का नाम	FMR 15.6.1 Cat.Ope. By NGO @1000/ Per Pending liability	FMR 2.3.3.2 Free Spect. Sch. Children@275/ Per Pending liability	FMR 2.3.3.3 Free Spect Old Peoples@100/ Per Pending liability	FMR 16.1 Office expenses Dist. Level Pending liability	कुल योग
1	जालौन	193000	-	-	-	193000
2	प्रतापगढ़	193192	-	-	-	193192
3	बरेली	856000	23443	15500	-	894943
4	सहारनपुर	1533000	-	-	-	1533000
5	मैनपुरी	562000	25019	-	4000	591019
6	श्रावस्ती	-	23449	-	-	23449
7	कासगंज	444000	-	-	-	444000
8	बाराबंकी	451061	-	-	-	451061
9	आजमगढ़	98000	-	-	-	98000
10	चन्दौली	1089000	-	-	-	1089000
11	मथुरा	3105500	-	-	-	3105500
12	फर्रुखाबाद	1572000	8835	13813	-	1594648
13	फैजाबाद	1844000	-	-	-	1844000
14	कानपुर नगर	10390000	-	-	-	10390000
15	गाजियाबाद	6465000	-	-	-	6465000
16	कानपुर देहात	1460000	-	-	-	1460000
17	उन्नाव	2771000	-	-	-	2771000
18	खीरी	2008029	-	-	-	2008029
19	बस्ती	1237000	89902	-	-	1326902
20	फतेहपुर	996000	-	-	-	996000
21	बिजनौर	668000	-	-	-	668000
22	मेरठ	504000	-	-	-	504000

23	देवरिया	5207976	324343	-	-	5532319
24	कन्नौज	2996704	-	-	-	2996704
25	आगरा	-	10956	17608	-	28564
26	अलीगढ़	480000	-	-	-	480000
27	एटा	0	407095	0	-	407095
28	बागपत	0	166420	0	-	166420
29	शाहजहांपुर	0	77171	23868	-	101039
30	शामली	0	17556	0	-	17556
कुल योग उ0प्र0		47124462.00	1174189.00	70789.00	4000.00	48373440.00

2 जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

3 धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। **जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी कार्यक्रम/मद में नियमानुसार स्वीकृत सीमा तक व्यय किया जाये एवं चूंकि उपरोक्तानुसार तालिका में अंकित धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लम्बित धनराशि सम्बन्धित मंदो में स्वीकृति प्रदान की गयी है तद्क्रम में माह सितंबर, 2018 तक वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता द्वारा शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराते हुये माह अक्टूबर 2018 तक जनपद की मासिक व्यय विवरण (MPR) में व्यय प्रगति परिलक्षीत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों मे वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में निम्न लम्बित गतिविधियां सम्पादित की जानी की प्रति दर स्वीकृति है :–

नवीन मंद सं0 –15.6.1(वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.1) – मोतियाबिन्द ऑपरेशन एन0जी0ओ0/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 1000/आपरेषन प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.2 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.3) – स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःषुल्क चश्मों का वितरण रू0 275.00/प्रति केस की दर से।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.3 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.4) – राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(रिफैक्टिव एरर के कारण दृश्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःषुल्क चष्मा वितरण रू0 100/चष्में प्रति केस की दर से।

नवीन मंद सं0 –16.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–4.1) – जनपदों में कार्यालय व्यय (स्टेषनरी, कन्ज्यूमेटिल्स, टेलीफोन एवं इन्टरनेट रेन्ट, कन्ज्यूमेबिल्स, कन्टिन्जेन्सी व अन्य कार्यालय व्यय आदि) हेतु ।

7. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत

गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यकम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0:– SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आवंटित धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष उपरोक्त लम्बित धनराशि का भुगतान माह सितंबर, 2018 शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जालौन, प्रतापगढ़, बरेली, सहारनपुर, मैनपुरी, श्रावस्ती, कासगंज, बाराबंकी, आजमगढ़, चन्दौली, मथुरा, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, कानपुर नगर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, खीरी, बस्ती, फतेहपुर, बिजनौर, मेरठ, देवरिया, कन्नौज, आगरा, अलीगढ़, एटा, बागपत, शाहजहांपुर एवं शामली, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0:– SPMU/NCD/NPCB&VI/Main File/ 2018–19/01A/ दिनांक 24/9/18

विषय : राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की 30 जनपदों की लम्बित देनदारियों हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी माह सितंबर 2018 तक शत–प्रतिशत व्यय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत आर0ओ0पी0 2018–19 के क्रमशः एफ0एम0आर0 मद संख्या **15.6.1** पर रू0 **47125000.00**, मंद सं0–**2.3.3.2 पर रू0 1175000.00 , मंद सं0– 2.3.3.3** पर रू0 **71000.00 एवं मंद सं0–16.1 पर रू0 4000.00** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 की सम्बन्धित जनपदों की लम्बित देनदारियों हेतु उपरोक्तानुसार कुल रू0 **48375000.00** धनराशि अनुमोदित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्वीकृत आर0ओ0पी0 में राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लम्बित देनदारियों के सापेक्ष महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, के प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कुल रू0 **48375000.00** की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मंदवार कुल रू0 **48373440.00** की लम्बित धनराशि निम्नवत् प्रस्तर व तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को लम्बित देनदारियों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है–

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लम्बित धनराशि

क्र0 सं0	जनपद का नाम	FMR 15.6.1 Cat.Ope. By NGO @1000/ Per Pending liability	FMR 2.3.3.2 Free Spect. Sch. Children@275/ Per Pending liability	FMR 2.3.3.3 Free Spect Old Peoples@100/ Per Pending liability	FMR 16.1 Office expenses Dist. Level Pending liability	कुल योग
1	जालौन	193000	-	-	-	193000
2	प्रतापगढ़	193192	-	-	-	193192
3	बरेली	856000	23443	15500	-	894943
4	सहारनपुर	1533000	-	-	-	1533000
5	मैनपुरी	562000	25019	-	4000	591019
6	श्रावस्ती	-	23449	-	-	23449
7	कासगंज	444000	-	-	-	444000
8	बाराबंकी	451061	-	-	-	451061
9	आजमगढ़	98000	-	-	-	98000
10	चन्दौली	1089000	-	-	-	1089000
11	मथुरा	3105500	-	-	-	3105500
12	फर्रूखाबाद	1572000	8835	13813	-	1594648
13	फैजाबाद	1844000	-	-	-	1844000
14	कानपुर नगर	10390000	-	-	-	10390000
15	गाजियाबाद	6465000	-	-	-	6465000
16	कानपुर देहात	1460000	-	-	-	1460000
17	उन्नाव	2771000	-	-	-	2771000
18	खीरी	2008029	-	-	-	2008029
19	बस्ती	1237000	89902	-	-	1326902
20	फतेहपुर	996000	-	-	-	996000
21	बिजनौर	668000	-	-	-	668000
22	मेरठ	504000	-	-	-	504000

23	देवरिया	5207976	324343	-	-	5532319
24	कन्नौज	2996704	-	-	-	2996704
25	आगरा	-	10956	17608	-	28564
26	अलीगढ़	480000	-	-	-	480000
27	एटा	0	407095	0	-	407095
28	बागपत	0	166420	0	-	166420
29	शाहजहांपुर	0	77171	23868	-	101039
30	शामली	0	17556	0	-	17556
कुल योग उ0प्र0		47124462.00	1174189.00	70789.00	4000.00	48373440.00

2 जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त धनराशि का व्यय जनपद की उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की DAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

3 धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। **जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी कार्यक्रम/मद में नियमानुसार स्वीकृत सीमा तक व्यय किया जाये एवं चूंकि उपरोक्तानुसार तालिका में अंकित धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की लम्बित धनराशि सम्बन्धित मंदो में स्वीकृति प्रदान की गयी है तद्क्रम में माह सितंबर, 2018 तक वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता द्वारा शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराते हुये माह अक्टूबर 2018 तक जनपद की मासिक व्यय विवरण (MPR) में व्यय प्रगति परिलक्षीत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

6. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों मे वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 में निम्न लम्बित गतिविधियां सम्पादित की जानी की प्रति दर स्वीकृति है :–

नवीन मंद सं0 –15.6.1(वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.1) – मोतियाबिन्द ऑपरेशन एन0जी0ओ0/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 1000/आपरेषन प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.2 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.3) – स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व नि:षुल्क चश्मों का वितरण रू0 275.00/प्रति केस की दर से।

नवीन मंद सं0 –2.3.3.3 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–1.4) – राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त नि:षुल्क चष्मा वितरण रू0 100/चष्में प्रति केस की दर से।

नवीन मंद सं0 –16.1 (वि0 वर्ष 2017–18 की मंदसं0 आई–4.1) – जनपदों में कार्यालय व्यय (स्टेषनरी, कन्ज्यूमेटिल्स, टेलीफोन एवं इन्टरनेट रेन्ट, कन्ज्यूमेबिल्स, कन्टिन्जेन्सी व अन्य कार्यालय व्यय आदि) हेतु ।

7. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत

ाठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं0 1207–13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0:– SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/ 6858-30(9) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आवंटित धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा लक्ष्य के सापेक्ष करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को ई–मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कार्यक्रम में लक्ष्य के सापेक्ष उपरोक्त लम्बित धनराशि का भुगतान माह सितंबर, 2018 शत–प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0